न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 03/2023

1 रामप्यारी पत्नी स्व. मदन
2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. मदन
3 रमेश पुत्र स्व. मदन
4 कैलाश पुत्र स्व. मदन
समस्त जाति मीणा निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 घीसाराम मीणा पुत्र सांवताराम मीणा जाति मीणा निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा
39 नियम 2 क तथा धारा
151 सीपीसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—3.7.24

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 35/2022 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.03.2022 की अवमानना पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2022 को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए भूमि खसरा नम्बर 2328/1012 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2329/1012 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2599/738 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2600/738 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2602/1006 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2601/738 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2603/1006 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल रकबा 3.13 हैक्टेयर स्थित ग्राम बडाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू के बाबत स्थगन आदेश जारी किया गया था। विपक्षी संख्या 1 की ओर से दिनांक 25.04.2022 को उसके अधिवक्ता राजेश पूनिया ने वकालतनामा पेश किया था तथा दिनांक 29.09.2022 को विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता की ओर से अपील के अन्य पक्षकार की ओर से वकालतनामा पेश किया गया था इसलिए विपक्षी घीसाराम को माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.03.2022 की पूर्णतया ज़ानकारी थी। भूमि खसरा नम्बर 2600/738 में आवदेकगण के पूर्वज मदन व विपक्षी ने संयुक्त रूप से बोरवेल बनवाया था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जिसका विद्युत कनेक्शन बिल भी संयुक्त रूप से मदन व विपक्षी के नाम से आता है। विपक्षी ने माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 24.03.2022 के जारी होने के बाद उक्त बोरवेल के आस पास तारबन्दी कर ली एंव नया निर्माण कर झोपड़ी बनवा ली तथा पशु आदि बांधने लग गया तथा इस सम्बन्ध में आवेदिका रामप्यारी हल्का जांच करने हेतु मौके पर दिनांक 16.12.2022 को पहुंचा तो उक्त वर्णित भूमि में पुरानी छान झोपड़ी बनी हुई है व बोरवेल बना हुआ है मौके पर विपक्षी घीसाराम पुत्र सांवतराम जाति मीणा मौजूद नहीं मिला तथा मौके पर नई पानी से बाता बनाये हुये थे। उक्त खसरा नम्बर में गोबर झाड़ फुस पड़ा हुआ है आदि रिपोर्ट पेश की। अतः रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है। इसके पश्चात आवेदिका रामप्यारी ने दिनांक 20.12.2022 को पटवारी हल्का को पुनः सूचना दी कि स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस पर पटवारी हल्का मौके पर पहुंचा, पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा की– 'विपक्षी घीसाराम पुत्र सांवताराम जाति मीणा ने वाद वर्णित भूमि में दो पुरानी छान (झोपड़ी) बनी हुई थी जिसमें से एक छान झोपड़ी पर नई छान डाली गई है। विपक्षी मौके पर मौजूद नही मिला। विपक्षी को पूर्व में दिनांक 16.12.2022 को छान नहीं डालने के लिए पाबन्द करने हेतु पहुंचा था किन्तु मौजूद नहीं मिला'। आदि पेश की। स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना की गई है। अतः अवमानना आवेदन स्वीकार कर ताराबंदी व झोपड़ी को हटाने आदेश देकर सिविल कारावास की सजा दी जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 36/2022 में दिनांक 24.03.2022 से मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के लिए स्थगन जारी किया गया था। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पटवारी के अनुसार झोपड़ी पर नई छान डाली गई है। इसके अतिरिक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

अन्य किसी निर्माण का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। काश्त की भूमि में झोपड़ी पर नई छान डालना कृषि उपभोग की श्रेणी में आता है। केवल इसी आधार पर अवमानना नहीं मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर